न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 30/2025 G.C.M.S. No. 2025/436 दर्ज दिनांक : 10.07.2025

अपीलार्थिगण:

1. वणाराम पुत्र कानाराम जी जाति कुम्हार, निवासी जीरावल
2. प्रतापराम पुत्र कानाराम जाति कुम्हार, निवासी जीरावल
3. रमेश कुमार पुत्र कानाराम जाति कुम्हार, निवासी जीरावल, तहसील रेवदर जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पनाराम पुत्र बाबराजी, जाति कलबी, निवासी रतनपुराखेडा, तहसील रेवदर जिला सिरोही राजस्थान
2. देवाराम पुत्र बाबराजी, जाति कलबी, निवासी रतनपुराखेड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही राजस्थान
3. जयंतिलाल पुत्र भेराराम जाति कुम्हार, निवासी देरोल, तहसील रेवदर जिला सिरोही राजस्थान
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रेवदर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 250/2024 बअनवान पनाराम बनाम वणाराम में पारित आदेश दिनांक 25.06.2025

पैरोकार:–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री उमाराम देवासी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 250/2024 बअनवान पनाराम बनाम वणाराम में पारित आदेश दिनांक 25.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अपीलांट व सहखातेदार जयंतिलाल के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 सयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा जीरावल के खसरा संख्या 587 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा है। रेस्पोडेन्ट की आराजी में खसरा संख्या 588 की आराजी में से आते जाते है। रेस्पोडेट की उक्त आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जिससे खसरा संख्या 588 की आराजी के दक्षिणी किनारे से रास्ता दिलाया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की आराजी में आने जाने का रास्ता पुराने समय से मौजुद है, जो मुख्य रास्ते से खसरा संख्या 580 की भूमि में व उसके बाद खसरा संख्या 581 में से होते हुए खसरा संख्या 585 व 587 की आराजी में आते जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग आवागमन के लिए मौके पर पुराने समय से किया जा रहा है। खसरा संख्या 585 व 587 की आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के खातेदारी की है,। मोके पर खसरा संख्या 580 की भूमि का उपयोग नाले के रूप में नहीं होकर रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है। उक्त जवाब के समर्थन में अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर अपीलांट के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा जीरावल के खसरा संख्या 588 की आराजी में से 3072 की वर्गफीट रास्ता दिए जाने के आदेश प्रदान किए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की आराजी खसरा सख्या 587 व 585 में आवागमन के लिए मौके पर पूर्व में ही रास्ता पुराने समय से मोजुद है, फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी के साथ मिलीभगत कर गलत मौका रिपोर्ट बनाकर उक्त निर्णय पारित करवाया गया है। अपीलांट द्वारा आपति कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने का निवेदन किया, जिस पर न्यायालय के आदेश से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की जानकारी के बिना तथा अपीलांट को कोई सूचना दिए बिना मौका रिपोर्ट गलत बनाकर भेजी गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती हैं, लेकिन अपीलांट के पीठ पीछे कोई सूचना दिए बिना व जानकारी के बिना उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिस स्थान पर रास्ता दिया जाना बताया गया है, उस स्थान पर अपीलांट का पक्का रहवासी कमरा बना हुआ है फिर भी उक्त तथ्या को नजर अंदाज कर पक्का निर्माण होने के तथ्यो को छुपाकर तथा मोके पर रास्ता मौजुद होते हुए भी अपीलांट की आराजी में रास्ता दिलवाए जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी ग्राम जीरावल के खसरा संख्या 587 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा तक पहुच के लिए पहुच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। जो भू. अ. नि दातराई द्वारा दिनांक 10.03.2025 को तैयार किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन नजरी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख व अन्य दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी खसरा 587 एवं निकटतम गैर मुमकीन रास्ता के मध्य अपीलाण्ट की आराजी खसरा संख्या 588 स्थित है। प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी तक पहुंच के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं। अतः रास्ता के मांग महज सुविधा नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता है। अपीलांट का यह उज्र कि प्रार्थी खसरा संख्या 585 का सहखातेदार है जिसमें खसरा संख्या 581 पर मौके पर पहुच मार्ग है जो गै.मु. नाला से जुडता है के संबध में हमारे विनम्र मत मे प्रथम तो प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 587 के लिए रास्ते की मांग की गयी है तथा खसरा संख्या 585 के लिए नहीं। खसरा संख्या 585 अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा खसरा संख्या 585 के लिए भी कोई भी अभिलिखित गैर मुमकिन रास्ते से पहुच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं एव खसरा संख्या 581 की आराजी खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी सहखातेदार नहीं है। अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ व गुगल मैप की प्रतियां विश्वास योग्य नहीं मानी जा सकती क्योंकि उक्त फोटोग्राम व गुगल मैप वस्तुत किस खसरान से संबधित है। यह स्पष्ट नहीं होते है।

3. भू.अ.निरी. के विस्तृत जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 587 के निकटतम पहुच मार्ग धाण जीरावल सड़क मार्ग है। उक्त सड़क मार्ग एवं प्रार्थी की आराजी के मध्य अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 588 है। जिसके दक्षिण सीमा के सहारे सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकृत रास्ता निकटतम दूरी का एकमात्र विकल्प है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा इससे निकटतम दूरी का अन्य विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विकल्प गै मु नाला भूमि है। जो रास्ते के लिए उपयुक्त भूमि नहीं मानी जा सकती। साथ ही उक्त गै मु नाला भी प्रार्थी की आराजी से लगता हुआ नही है। एवं प्रार्थी खसरा संख्या 581 का सहखातेदार भी नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जवाब एवं आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तथा जवाब प्राप्त कर एवं आपत्ति पर पुनः प्रतिवेदन तलब कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने एवं अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलाण्ट अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 250/2024 बअनवान पनाराम बनाम वणाराम में पारित आदेश दिनांक 25.06.2025 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली